न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 73/2018

प्रकरण दर्ज तिथि :— 06.07.2018

जीसीएमएस नम्बर :— 2018/00086

वादीगण

1. शौकत अली
2. असलम खां
3. इमरान खां
   पीसरान सतार खां जी
4. बितकीश बानो पत्नी सतार खां जी
5. अमीना बानो
6. रोशन बानो
   पीसरान सतार खां जी
7. अहमद खां
8. अजीज खां
9. सफी मोहम्मद
10. साबिर
11. जन्नत बानो
12. रोशनबानो पत्नी रमजान खां
13. जावेद खां
14. अनीषा बानो
15. निशा बानो पुत्रिया रमजान खां जातिगण धोबी मुसलमान निवासीगण बर तहसील रायपुर

बनाम

1. अब्दुल रहमान
2. इन्साक मोहम्मद
3. अब्दुल गफार
4. न्याज मोहम्मद
5. अब्दुल हकीम
   पीसरान बाबूखां जी
6. हफीजा भानू पत्नी बाबूखां जी जातिगण धोबी मुसलमान निवासीगण बर
7. रजाक खां पुत्र दीना खां जी
8. इब्राहिम खां पुत्र दीना खां
9. पीरू खां पुत्र दीना खां जी
10. गुलाब मोह पुत्र गबरूद्दीन
11. दौलत पुत्री दीना खां
12. जावेद पुत्र अ.रहमान
13. सफी पुत्र अ.रहमान
14. रूकसाना पुत्री अ.रहमान
15. चांदबीवी पुत्री अ.रहमान
16. शाकीर मो.पुत्र इब्राहिमजी
17. तहसीलदार जी रायपुर

वाद घोषित करने शून्य दाखिला दिनांक 25.08.1964 तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री ताराचन्द्र टांक वगैरह अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन एवं श्री फिरोज खां उपस्थित

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निर्णय दिनांक: 22.04.2025

वादी की ओर से वकील श्री ताराचंद टांक वगैरह द्वारा वाद घोषित करने शून्य दाखिला दिनांक 26.08.1964 तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि राजस्व ग्राम बर मे स्थित निम्न खसरा व रकबा की कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज स्व. दीना खां पुत्र श्री बुधा जी धोबी मुसलमान निवासी बर खातेदारी है जिसका विवरण कृषि भूमि निम्न है:–खसरा न. 229 रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा खसरा न. 230 रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 53 बीघा 19 बिस्वा खसरा न. 466 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा खसरा न. 467 रकबा 0 बीघा 04 बिस्वा खसरा न. 468 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा न. 469 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा खसरा न. 259 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा खसरा न. 228 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा खसरा न. 423 रकबा 0 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 0 बीघा 16 बिस्वा उपरोक्त कृषि भूमि स्व. दीनाखां पुत्र बुधा जी धोबी की खातेदारी की थी जो साथ सलग्न खातौनी संवत 2011 से 30 से प्रमाणित है। सवंत् 2019 से 22 की जमाबंदी मे स्व. दीना जी की खातेदारी के रूप मे दर्ज थे मगर जमाबंदी के कालम सख्या 16 मे नोट लगाकर – जरिए नामान्तरणकरण 142 दिनांक 26.8.1964 के बाबू पुत्र हुसैन खां धोबी के नाम खसरा स. 466 467 468 469 259 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा दर्ज की जावे। इस वाद मे मात्र खसरा न. 466 467 468 469 और 259 को ही वादग्रस्थ भूमि बनाया जा रहा है। क्योकि उपरोक्त खातोनी मे अकिंत शेष खसरा नम्बर दीना खां के नाम रखते मात्र उपरोक्त विवादित खसरा नम्बर बाबू खां के नाम खातेदारी दर्ज करने का हवाला है। अतः वाद मे उपरोक्त खसरा नम्बर वादग्रस्थ कृषि भूमि के रूप मे सम्बोधित किये जाऐगे। इस प्रकार वादी के पूर्वज का नाम जिस म्यूटेशन सख्या 142 का आधार लेकर खातेदारी से हटाया गया है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध वादीगण के वैध अधिकारो के विरूद्ध अप्रभावी है। जिसके निम्न आधार है– प्रतिवादीगण के पूर्वज बाबू खां का नाम वादीगण के पूर्वज दीना खां जी को राजस्व रेकर्ड मे एक खातेदारी काश्तकार से हटाकर अपना नाम जिस म्युटेशन संख्या 142 के हवाले दर्ज किया गया है। प्रथमतः उक्त म्यूटेशन के रेकर्ड मे ही उपलब्ध नही है। क्योकि तहसील म्युटेशन रजिस्टर के सरवरक पर ही यह नोट लगा हुआ है कि म्युटेशन संख्या 40 से 44, 142, 145, 146 तथा 200 कुल आठ म्यूटेशन रजिस्टर व पत्रावली मे मौजूद नही है। इतना ही नही बल्कि दिनांक 25.6.2018 को बर राजस्व कैम्प मे वादीगण द्वारा म्युटेशन संख्या 142 की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग करने पर हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के आवेदन के मूल पत्र पर ही नोट अकिंत कर दिया कि नामान्तरणकरण संख्या 142, 144, 145, 146 व 200 पटवार परत मे उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई म्युटेशन ही नही भरा गया। झूठा अवैध रूप से चौसाला परिवर्तन के वक्त नोट अकिंत कर स्वं दीनाखां जी का नाम खातेदारी से विलोपित कर दिया जो विधि सम्मत नही है। भू राजस्व अधिनियम मे म्युटेशन के स्पष्ट प्रावधान है । म्युटेशन मे किस रूप मे दाखिला होता है। म्युटेशन का प्रफोर्मा कैसा होता है ओर म्युटेशन को किस स्थिति मे वैध माना जाता है। इसका कानूनी प्रावधान हैं। म्युटेशन का एक अलग प्रफोर्मा होता है जिसमे म्युटेशन सख्या दर्ज किया जाता है। कृषक के कालम मे खातेदार का नाम अकिंत किया जाता है। फिर कृषि भूमि को अकिंत किया जाता है। इसके बाद कालम मे जिसका नाम दाखिला किया जाना होंता है उसका नाम इन्द्राज किया जाता है तथा फिर अंत मे पटवारी द्वारा इन्द्राज परिवर्तन का कारण या नोट दर्ज किया जाता है। बेचान पत्र बख्शीश वसीयत अथवा सक्षम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही इस प्रकार का म्युटेशन दाखिला किया जाता है। पटवारी का उत्तरदायित्व मात्र इस प्रकार का इन्द्राज म्युटेशन मे करना होता है जिसकी जांच राजस्व निरिक्षक द्वारा किये जाने पर सत्यापन होता है और उनके सत्यापन के बाद ही संबधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा म्युटेशन स्वीकृत किया जाता है। तभी म्युटेशन की वैधिकता प्राप्त होती है। इस प्रकरण मे चूंकि म्युटेशन संख्या 142 तहसील के रेकर्ड मे नही है फिर भी जिस म्युटेशन का आधार लेकर स्व दीनाखां जी का नाम जमाबंदी से विलोपित किया गया है वह दस्तावेज ही कुछ अलग से है जिसे म्युटेशन कदापि नही कहा जा सकता। दिनांक 25.8.1964 को पटवारी भीमसिंह ने जमाबंदी के प्रफोर्मा पर ही नामान्तरकरण ग्राम बर तहसील रायपुर का अंकन कर जमाबदी के खाता कालम मे 142 अकिंत कर मात्र यह नोट दर्ज किया कि दाखिला खारिज किया जाता है मात्र इस पृविष्टि को किस रूप मे म्युटेशन माना गया यह गम्भीर संदेह के घेरे मे है। इसे जिस रूप मे म्युटेशन माना गया वह विधिसम्मत नही है। क्योकि हल्का पटवारी ने यह नोट किस आदेश से लगाया है उसका कोई किसी प्रकार का हवाला

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

इसमे दर्ज नही किया गया है ऐसी स्थिति मे हल्का पटवारी को किसी की खातेदारी को निरस्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नही रहता है इसी जमाबन्दी जिसे नामान्तरकरण का रूप दिया जा रहा है पर न तो भू अभिलेख निरिक्षक की जांच रिपोर्ट है न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति का कोई नोट लगा है। विवादित नामान्तरकरण का यदि अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि इसमे दर्ज दाखिला खारिज करने के बाद चौसाला परिवर्तन मे दीनाखां के स्थान पर बाबूखां पुत्र हुसैन खां का नाम किस आदेश व वैध हस्तान्तरण व कार्यवाही के तहत अंकित किया गया का उल्लेंख नही है। न ही इस प्रकार के विवादित दस्तावेज मे इसका कही इन्द्राज है। मात्र दाखिला खारिज करने के का तात्पर्य किसी अजनबी व्यक्ति को खातेदार बनाने से नही है और न ही चौसाला मे इस प्रकार का अवैध अंकन कर एंक वैध खातेदार को खातेदारी से वचिंत करने से है। विवादित दस्तावेजो को नामान्तरकरण नही माना जा सकता और इस पर अकिंत दाखिला खारिज के नोट का आशय यह नही निकाला जा सकता कि किसी अजनबी व्यक्ति को राजस्व रेकर्ड मे मूल खातेदार को विलोपित कर खातेदार बना दिए जाएं यह दाखिला किसका खारिज किया गया किस आदेंश से किया गया है किस अधिकारी द्वारा किया गया है सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित किस वाद के निर्णय पर इस प्रकार का दाखिला खारिज करने का नोट अकिंत किया है इस बाबत् कोई तथ्य विवादित दस्तावेजों पर नही है। इसलिए दस्तावेज पूर्ण रूप से विधि विरूद्व है और इस प्रकार के दस्तावेज से वादीगण के पूर्वज दीनाखां का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कर संवत 2019 से 22 मे मात्र म्युटेशन संख्या 142 का झूठा अंकन पर दीनाखां नाम विलोपित का भारी कानूनी अपराध किया है। इस प्रकार के अवैध इन्द्राज से वादीगण के वादस्थ भूमि मे निहित वैध अधिकार समाप्त नही किए जा सकते। तहसील कार्यालय मे म्युटेशन रजिस्टर रखा जाता है जिसमे प्रत्येक म्युटेशन की प्रति अर्थात मूल म्युटेशन उसी रजिस्टर मे रखा जाता है। अगर ऐसा कोई म्युटेशन होता तो अवश्य ही मूल रजिस्टर मे वह म्युटेशन पाया जाता। जबकि तहसील रेकर्ड एंव पटवार हल्का की परत मे भी इस दस्तावेज का कही कोई हवाला नही है। इससे यह स्पष्ट है कि तमाम कार्यवाही हल्का पटवारी और बाबू खां ने मिलकर स्व दीना खां जी को उनके वैध अधिकारो से वचिंत करने की नियत से उसके वृद्वापन तथा अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाकर किया गया। चूकि वादीगण तमाम बाहर नौकरी व अपने व्यवसाय मे व्यस्त थे। दीनाखां जी के वरिष्ठ पुत्र मात्र खाजूखां जी उक्त विवादित भूमि जो वादीगण के सयुक्त खातेदारी हक व कब्जा काश्त का है की देखरेख करते थे। उनके कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न होने से तथा खातौनी मे अकिंत शेष भूमि खसरा न. 229 230 228 423 का म्युटेशन दीनाखां जी के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम भरने व पटवारी द्वारा सम्पूर्ण खातौनी मे दर्ज भूमि दीनाखां जी के बाद वादीगण के नाम करने का विश्वास कर लिया और चूकि वादस्थ कृषि भूमि जो कि आज भी वादीगण तथा प्रतिवादीगण सख्यां 7 से 16 तक की सयुंक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न होने से वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया गया। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि वादीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है। आज भी इस कृषि भूमि के चारो और तारबंदी की हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 7 से 16 का इस पर वैध कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इसके खातेदार नही है और ना ही खातेदार माने जा सकते है। क्योकि उनके पूर्वज बाबूखां का नाम विधि विरूद्व ढंग से चौसाला मे अकिंत किया गया है। इससे इस अवैध इन्द्राज से वादीगण का वादस्थ भूमि मे निहित हक व अधिकार समाप्त नही होता है और न ही उन्हे अपने पूर्वजो की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से वचिंत किया जा सकता है। प्रथमतः 142 नम्बर का कोई म्युटेशन ही नही है। बहरहाल यदि म्युटेशन माना भी जाए तो म्युटेशन एक फिस्कल प्रोसिडिंग है और इस प्रकार की फिस्कल प्रकिया से प्रतिवादीगण 1 से 6 को कोई वैध अधिकार का सृजन नही होता है न ही इसके आधार पर वह कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है और न ही इस प्रकार के फिस्कल नामान्तरकरण से प्रतिवादीगण 1 से 6 की खातेदारी कि अतिंम अवधारणा की जा सकती है। इस प्रकार के फिस्कल प्रोसिडिंग से वादीगण के वैध अधिकार समाप्त नही किए जा सकते। तत्कालीन हल्का पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर मनमाने ढंग सें जमाबंदी के प्रफोर्मा को म्युटेशन का रूप देकर उस पर गलत इन्द्राज कर वादीगण के पूर्वज का नाम खातेदारी से हटाया है इस प्रकार के फर्जी अंकन से केवल मौखिक आधार पर किसी की खातेदारी नही बदली जा सकती है। इस प्रकार का दाखिला खरिज किये जाने का नोट नोन स्पीकिंग आर्डर है जो मनमाने ढंग से पारित किया गया है तथा विधिक शिथिलता से प्रेरित है। ऐसा दाखिला वादीगण के हित को समाप्त नही कर सकता और न ही अवैध दाखिले से प्रतिवादीगण 1 से 6 को वादस्थ भूमि मे किसी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बावर)

प्रकार का स्वत हित या अधिकार सृजन होता है। वादस्थ भूमि पर प्रतिवादीगण का वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे जिस रूप मे नाम दर्ज है व अवैध है तथा वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 7 से 16 के वादस्थ भूमि के एक अतिचारी मात्र है इससें उन्हे वादस्थ भूमि मे किसी प्रकार का अधिकार अथवा स्वत पैदा नही होते है। मात्र पटवारी जी के अवैध इन्द्राज की सजा वादीगण को नही दी जा सकती और न ही वादीगण को वादस्थ भूमि मे निहित अपने वैध अधिकारो से वंचित किया जा सकता हैं। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 16 दीनाखां जी के वैध वारिसान है जो वादस्थ भूमि के खातेदार काश्तकार है और इसके वैध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अधिकार रखते है। साथ ही चूकिं पटवारी द्वारा किया गया इन्द्राज मनमाने ढंग से विधि विरूद्व तरीके से फोर्जकारी कर इन्द्राज किया गया है। जो इन्द्राज अवैध घोपित किया जाकर हटाए जाने योग्य है। वादीगण अपने वैध अधिकारो की घोषणा करवाकर पुनः एक सयुंक्त खातेदार के रूप मे अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे अकिंत करवाने के अधिकारी है। साथ ही चूंकि वादस्थ भूमि पर वादीगण का वैध कब्जा काश्त है अतः उसमे किसी प्रकार से प्रतिवादी स. 1 से 6 दखलअंदाजी न करे इस हेतु उनके विरूद्व निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण अब्दुल रहमान ने वादीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय मे एक राजस्व वाद स्व.दीनाखां जी के खातेदारी की शेष कृषि भूमि सरहद मौजा बर के खसरा न. 228, 229, 230 व 423 के संदर्भ मे प्रस्तुत किया। इस वाद प्रस्तुति के बाद वादीगण ने जब अपने उपरोक्त खातेदारी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पर दिनांक 20.03.2018 को उनालू फसल की पैदावार ले रहे थें तब प्रतिवादीगण मौके पर आकर विवाद पैदा करने तथा इस सम्पूर्ण वादस्थ भूमि को अपनी सयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि होना स्व.दीना खां के वारिस होने से उत्तराधिकार के रूप मे उक्त भूमि बतौर खातेदार काबिज होने के तथ्य से अवगत कराने पर प्रतिवादीगण ने इसे अपने नाम होना जाहिर किया और वादीगण को खातेदार व काश्तकार मानने से इन्कार कर दिया। साथ ही उसे वादस्थ भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की चेतावनी देने पर वादीगण ने हल्का पटवारी से दिनांक 22.3.2018 को सम्पर्क किया तब ज्ञात हुआ कि वर्तमान खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 1 सें 6 का नाम बतौर खातेदार अकित हैं। जहां बाद वादीगण की ओर से पुराने राजस्व रेकर्ड एंव विवादित नामान्तरकरण की नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.04.2018 तथा दिनांक 13.4.2018 को प्राप्त किया तब सर्वप्रथम इस प्रकार के अवैध फर्जी दाखिले की जानकारी हूई। जानकारी के बाद इसे अब बिना प्रश्नगत किए छोडना विधि सम्मत नही रहता है। चूकि वादस्थ कृषि भूमि वादीगण की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण 7 से 16 तक इस सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि के वैध खातेदार है। वादीगण की ओर से 229, 230, 423, 228 जिसका विधि विरूद्व रूप से डिकी वादीगण के विरूद्व प्राप्त की है उसे निरस्त करवाने के अपने वैध अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वादस्थ कृषि भूमि जिसका वादस्थ कृषि भूमि 466, 467, 468, 469 तथा 259 के वैध खातेदारी अधिकारो की घोषणा एंव दिनांक 25.8.1964 को हल्का पटवारी द्वारा फर्जी तरीका अपनाते हुए बिना वैध अधिकारो के अपने पद का दुरूपयोग कर दाखिला खारिज करने के नोट के साथ राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन किया है। उसको निरस्त कर पुनः दुरूस्त इन्द्राज एंव निषेधाज्ञा का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत है। बिनायदावा दिनांक 20.3.2018 को वादीगण जब अपनी उनालू फसल ले रहे थे तब प्रतिवादीगण 1 से 6 द्वारा मौके पर विवाद पैदा करने तथा वादीगण को खातेदार मानने से इन्कार करने जहां बाद उन्हे दिनांक 22.3.2018 को हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जानकारी मिलने एंव दिनांक 4.4.2018 एंव 13.4.2018 तथा दिनांक 15.6.2018, 24.6.2018 एंव 26.6.2018 को वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से सर्वप्रथम जानकारी हुई जो अंदर म्याद है। चूकि वादस्थ कृषि भूमि एंव पक्षकारान् की सकूनता माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है। अतः माननीय न्यायालय को वाद श्रवण का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण की प्रार्थना है कि निम्न माफिक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण साादिर फरमायी जावे–तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा जमावंदी के प्रफोर्मा पर 142 कमांक अकिंत कर दाखिला खारिज किया जाता है जो नोट दिनांक 25.8.1964 को अकिंत किया है उसे शून्य करार देकर निरस्त किया जाए और पूर्व माफिक राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 466, 467, 468, 469 एंव 259 रकबा कुल 13 बीघा 17 बीस्वा का वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 16 का वैध खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्त फरमाया जावे। निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 6 का इस आशय से जारी फरमायी जावे कि वह उपरोक्त वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा व काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी न तो करे ना करावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (प्रावर)

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं जो संलग्न पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 02,10,11 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01,03 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन तथा प्रतिवादीगण संख्या 07, 08, 09, 12 से 16 की ओर से श्री फिरोज खां ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की तरफ से दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर तहसील रायपुर जिला पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा न. 229 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा खसरा न. 230 रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 53 बीघा 19 बिस्वा खसरा न. 466 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा खसरा न. 467 रकबा 0 बीघा 04 बिस्वा खसरा न. 468 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा न. 469 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा खसरा न. 259 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 5 कूल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा खसरा न. 228 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा खसरा न. 423 रकबा 0 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 0 बीघा 16 बिस्वा आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2018 तक के अनुसार बासमलाती है। बाबु खां के चाचा दीना खां सरक्षक थे। व बाबूखां की ओर से तमाम कार्य करते थे। बाबुखां तमाम आराजी पर काश्त करते थे। दीना खां व हुसैन खां दोनो सग्गे भाई थे जो बुधा खां के पुत्र थे। इस कारण से परिवारिक बंटवाडा कर खसरा अलग किया व बाबु खां के नाम म्यूटेशन संख्या 142 स्वीकृत किया गया है। तथा खसरा न. 924,921,931,930 कुल खसरा 4 कुल रकबा 41 बीघा 04 बीस्वा व खसरा न. 228,229,230,423 कुल खसरा 4 कुल रकबा 54 बीघा 15 बीस्वा भूमि दीनाखां जी की स्वअर्जित भूमि नही थी। उक्त वादग्रस्त भूमियो पर दीनाखां व बाबुखां का बहिस्सा बराबर के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण से श्रीमान सहायक कलेक्टर रायपुर द्वारा वाद संख्या 226/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2008 को पारित किया गया है। सवत् 2019 से 2022 कि जमाबन्दी मे खसरा न. 466 से 469 व 259 की कृषि भूमि मे नामान्तरण दर्ज होने की टिप्पणी दर्ज है। व इसमे म्यूटेशन संख्या 142 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम 62 पूर्व मे दर्ज किया गया व म्यूटेशन स्वीकृत है। जिसे दीनाखां द्वारा अपने जीवन काल मे कभी भी चैलेंज नही किया गया था। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2011 सें 2030 मे खातेदार सिर्फ दीना खां दर्ज किया गया जबकि संवत् 2011 से बाबुखां के नाम बासामलाती काश्त थी। जो खसरा गिरदावरी मे संवत् 2011 से 2014 मे बाबुखां की 1/2 हिस्से की काश्त दर्ज है। व खसरा स.259 खसरा गिरदावरी सवत 2013 मे कालम संख्या 02 मे बाबुखां दर्ज है व कालम संख्या 6 मे दीनां खसरा संख्या 228 बसदर तथा कालम संख्या 05 मे बसामलाती दर्ज है। वह इसी प्रकार सवत 2015 से 2018 तक गिरदावारी मे खसरा संख्या 466 सें 469 मे कालम संख्या 05 मे बासामलाती तथा इसी गिरदावरी के सवत 2018 मे कालम संख्या 40 मे बाबुखां 1/2 हिस्सा दर्ज है इसी खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 मे खसरा संख्या 228 बसामलाती कॉलम संख्या 05 मे दर्ज है। संवत् 2013 मे कालम संख्या 24 मे बाबूखां 1/2 हिस्सा दर्ज है। यानि मिसल बंदोबस्त अकेले दीना खां के नाम कायम कि गई जो बाबूखां के सरंक्षक है परन्तु मौके पर 1/2 हिस्से मे बाबुखां की थी व लगातार चली आ रही है। इसी कारण दीनाखां के द्वारा अपने जीवनकाल मे आपसी बन्टवाडा से अपने भतीजे बाबूखां के नाम दिनांक 25.08.1964 को म्यूटेशन अमल दरामद करवाया जो म्यूटेशन विधि अनुसार है। म्यूटेशन संख्या 142 उपलब्ध नही होने कें कथन जो किये गये है जो कथन गलत है। हकीकत यह है कि म्यूटेशन संख्या 142 जो दो पेज का है इसे पूरा प्राप्त नही किया गया है। वादी ने एक पृष्ठ ही पेश किया है। वादी ने रेवेन्यू एजेन्सी से मिलीभगत कर रिपोर्ट फर्जी तैयार कि गयी है। दाखिल खारिज नही होने के कथन किये गये है जबकि म्युटेशन संख्या 142 की प्रति साथ सलग्न है। इस प्रकार म्युटेशन 142 भरा गया और चौसाला परिवर्तन में उक्त नामान्तरण को अमल दरामद करते हुये बाबुखा के नाम दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत है। तमाम कथन सरासर गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। दाखिल खारीज म्युटेशन का उर्दू अल्फाज है जिसका मतलब नामान्तरण ही होता है। विधि अनुसार बाबु का नाम नामान्तरण भरा गया जो ऐच्छिक बंटवाडा के भरा गया है। चुकि कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट के बाबु खा की थी. इसलिये म्यूटेशन स्वीकृत हुआ इस कारण बैचाण बख्शीश व वसीयत का अभिवचन पैदा ही नही होता है। म्यूटेशन संख्या 142 के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जरिये बाबुखां का नाम दर्ज किया गया व तत्पश्चात जमाबन्दी में बाबुखां का नाम दर्ज रहा व वर्तमान में बाबुखां का नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरण संख्या 142 रेकर्ड में उपलब्ध है। जिसे जानबुझ कर वादीगण ने प्राप्त नहीं किया है। उक्त दस्तावेज पूर्ण रूप से नामान्तरण है। म्युटेशन संख्या 142 स्वीकृ तशुदा है। इस पद में दाखिला खारिज शब्द अंकित किया गया है, यह शब्द गलत है। सही शब्द दाखिल खारिज है यह शब्द उर्दू का है व दाखिल खारीज का अर्थ नामातंरण होता है। इसकारण जो तोड मरोडकर शब्द लिखा है यह हास्यपद है। म्यूटेशन सही है, इसपर संदेह करने की कोई गुंजाईश नहीं है। तत्कालिन पटवारी हल्का का दाखिल खारिज का कोई नोट नहीं है बल्कि म्यूटेशन स्वीकृत की टिप्पणी है तथा आरआई द्वारा सत्यापन किया गया व पटवारी द्वारा म्यूटेशन भरा गया है। उक्त नामान्तरण संख्या 142 पर स्पष्ट नामान्तकरण ग्राम बर तहसील रायपुर स्पष्ट लिखा हुआ है। पद संख्या 4 के तमाम कथन सारासर गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। दाखिल खारीज संख्या 142 है जो ऐच्छिक बंटवाडे के जरिये स्वीकृत किया गया है। भूमि सहकाश्तकारी की है। बाबु खाँ का कब्जा था, टिनेन्सी प्रावधानों के अनुसार काबिज व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान हैं व तत्समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। स्वय दिना खां द्वारा अपने जीवन काल में विभाजन किया गया है ओर नामान्तरण भरवाया गया है ओर जमाबन्दी मे उक्त नामान्तरण का अमल दरामद करवाया है ओर इतने वर्षों से बाबु खां व बाबुखां के फौत के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दाखिल खारीज का मतलब एक व्यक्ति का नाम दर्ज करना व दुसरे व्यक्ति का नाम हटाना है इसी कारण दिना खाँ का नाम हटाकर म्यूटेशन संख्या 142 बाबु खाँ के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरण विधि सम्मत पारित कर नामान्तरण जमायन्दी में अमल दरामद किया गया है एंव दिना खां का नाम हटा कर बाबु खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इद्राज किसी प्रकार से अवैध नहीं है। और ना ही किसी प्रकार का कानूनी अपराध नहीं किया गया है। विवादित दस्तावेज नामान्तरण ही है। जो विधिसम्मत भरा गया ओर फिर जमाबन्दी सवत 2019 से 2022 में विधिसम्मत अमलदरामद किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 खातेदार काश्तकार चले आ रहे है पिछले 62 वर्षों से प्रतिवादीगण 1 से 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है ओर वादीगण के वादग्रस्त आराजी ने किसी प्रकार के अधिकार नही है।

दावे का जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम नही की जाकर दावे की बहस सुनी गई क्योकि उक्त वाद नामान्तरकरण संख्या 142 के सम्बंध मे वादीगण घोषणा चाही गई है उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 की परत पर किसी प्रकार का विवरण नही किया गया कि उक्त नामान्तरकरण किस आदेश से भरा गया इसलिए नामान्तरकरण शून्य घोषित कर वादीगण द्वारा घोषणा चाहे जाने पर बहस प्रार्थना पत्र वादी व प्रतिवादी वकील की सुनी गयी तो वादी के नामान्तरकरण को फर्जी बताते हुए दावा स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की गई जबकि वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे का समर्थन करते हुए दावा खारिज किया जाना जाहिर किया गया।

हमने वकील वादी व प्रतिवादी की बहस एवम लिखित बहस दावा जवाब दावा प्रस्तुत दस्तावेंजो को परीक्षण किया गया तो पाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि बर मे स्थित है भूमि खसरा न. 466, 467, 468, 469 एवं 259 कुल रकबा 13 बीघा 17 बीस्वा वादीगण के पूर्वज श्री दीनां खां की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी जो खातौनी बंदोबस्त व जमाबन्दी 2011 से 2022 में दीनां खां की खातेदारी बताई गई मगर जमाबंदी 2019 से 2022 के कालम संख्या 15 16 तत्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 25.8.64 को दाखिल खारिज को नोट अकिंत कर म्यूटेशन न. 142 के तहत् दीनां खां पुत्र बुधाखां को हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज बाबूखां पुत्र हुसैन खां का नाम दर्ज कर दिया गया जो नामान्तरकरण संख्या 142 पूर्णतया अवैध व अप्रभावी है इस बाबत वादीगण ने दावा 6.7.18 को पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से 21.8.18 को वकील हाजिर होने पर भी 21 बार अवसर देने पर भी प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया जवाब पेश नही करने पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर 7.8.23 को 23 अवसर देने पर जवाब पेश किया जो कि वादीगण का प्रथम अनुरोध तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबन्दी के प्रारूप पर कमांक संख्या 142 अकिंत कर दाखिला खारिज का नोट 25.8.64 को अंकित कर वादीगण के पूर्वज का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज का नाम दर्ज कर दिया जो कि हल्का पटवारी को बिना पंजीकृत नामान्तरण अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश के चौसाला परिवर्तन अथवा खातेदार का नाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (डावर)

हटाने का अधिकार नही है नामान्तरण संख्या 142 जिसके तहत वादीगण के पूर्वज दीना खां का नाम हटाकर बाबूखां का दर्ज किया है वह मूल नामान्तरणकरण की परत तहसील रिकार्ड मे नही है जो तहसील म्यूटेशन के मुख्य पृष्ठ पर नोट अकिंत है कि म्यूटेशन न. 40 से 44 तथा 142,145,146,200 कुल 8 म्यूटेशन पत्रावली मे मौजूद नही है। म्यूटेशन की एक प्रति पटवार पर रहती है उसमे भी उक्त म्यूटेशन की परत नही मिली जैसा कि दिनांक 25.6.18 को स्वंय हल्का पटवारी ने राजस्व मौजा बर मे वादीगण के आवेदन पर नोट अकिंत कर स्पष्ट किया कि म्यूटेशन संख्या 142,144,145,146,200 उपलब्ध नही है। मगर तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबंदी पर ही क्रमांक 142 दाखिला खारिज कर नोट अकिंत कर चौसाला परिवर्तन कर दिया गया जो अवैध है। म्यूटेशन की स्वीकृति तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद की जाती है जो म्यूटेशन संख्या 142 पर नही है। प्रतिवादीगण के लिए जरूरी था कि ऐसे म्यूटेशन के स्थान पर वैध अधिकारी की घोषणा सक्षम न्यायालय से डिक्री करवाना मगर ऐसा कही पत्रावली पर नही है। जैसा कि आर.आर.टी 2016 (1) 151 मे निर्धारित है। म्यूटेशन की कार्यवाही सरसरी मात्र है इससे कोई अधिकार सृजित नही होते प्रतिवादीगण को इस हेतु घोषणा का वाद करना चाहिए जैसा कि आर.आर.टी 2004 (2) पेज न. 1140 आर.आर.टी 2009 का (2) 816 से अभिनिर्धारित किया गया है। मूल नामान्तरण संख्या 142 के तस्दीक पूर्व मूल खातेदार को सुना जाना चाहिये जो नही सुना गया जो आर.आर.टी. 2009 (2) 988 आर.आर.टी 2013 (2) 1056 नामान्तरकरण का प्रारूप अलग होता है जिसे पटवारी हल्का रजिस्टर्ड हस्तान्तरण डीड अथवा सक्षम न्यायालय आदेश के अनुसरण मे तैयार करता है जिसकी जांच आर.आई द्वारा की जाने के बाद तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं। म्यूटेशन संख्या 142 की अपील अति. जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जो अभी लम्बित है। विवादित म्यूटेशन के जरिये वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया गया, बाबूखां पुत्र हुसैनखां, दीनाखां के न तो वारिस है ना ही रिश्तेदार है न ही राजस्व रेकर्ड मे दीनाखां के साथ कृषक रहा। बिना किसी प्रमाण के व आदेश के वैध खातेदार को हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज बाबूखां का नाम दर्ज कर दिया, चूकिं विवादित म्यूटेशन प्रारम्भ से ही अवैध है ऐसे म्यूटेशन को अवैध घोषित करने की कार्यवाही बाधित नही रहती, दाखिला खारिज एक नान स्पीकिंग आर्डर है जो मन मानें ढंग से पारित विधिक शिथिलता से प्रेरित है ऐसा दाखिला वादीगण के हित अधिकार समाप्त नही कर सकता। संवत् 2011 से 2022 तक स्व. दीनाखां पुत्र बुधा खां रेकार्डेड खातेदार काश्तकार था इस अवधि मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अथवा उसके प्रवेश द्वारा खण्डन के कोई प्रमाण दस्तावेज पेश नही किये गए। मात्र 2 वर्ष कि गिरदावरी से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 न तो सहखातेदार रहे न ही सहकृषक न ही दीनाखां के वैध वारिस प्रमाणित कर सके ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण संख्या 142 संदेहास्पद रहता है जो शून्य करार योग्य है जैसा आर.आर.टी. 2004 (2) 895 मे अवधारित किया गया है। साथ मौखिक साक्ष्य प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व उनके पूर्वजो की दीनाखां द्वारा किसी प्रकार का वैध हस्तानान्तरण बख्शीश वसीयत नही की, ऐच्छिक समझौता या राजीनामा विधिकमय नही रहता । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 या उनके पूर्वज 2010 से लेकर चौसाला परिवर्तन तक कही पर खातेदार सहखातेदार उपकृषक दर्ज नही होने से वह किसी भी रूप मे नामान्तरकरण संख्या 142 अथवा खातेदारी के हकदार नही रहते है।

उभयपक्ष बहस समायत की गई।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा बर की जमाबंदी के प्रोफार्मा पर नामान्तकरण संख्या 142 कमांक अकिंत कर दाखिला खारिज किया जाता, का नोट दिनांक 25.8.1964 को जो अकिंत किया गया उसे शून्य करार देकर निरस्त किया जाना व पूर्व माफिक राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज अपास्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खसरा संख्या 466, 467, 468, 469 एंव 269 कुल रकबा 13 बीघा 17 बीस्वा में वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 7 से 16 को वैध खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित हैं तथा राजस्व रेकार्ड मे इसी प्रकार इन्द्राज(नामान्तकरण/पंजीयन) अपास्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा बर की जमाबंदी के प्रोफार्मा पर नामान्तकरण संख्या 142 कमांक अंकित कर दाखिला खारिज किया जाता, का नोट दिनांक 25.8.1964 को जो अकिंत किया गया उसे शून्य करार देकर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व पूर्व माफिक राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित भूमि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खसरा संख्या 466, 467, 468, 469 एंव 259 कुल रकबा 13 बीघा 17 बीस्वा में वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 7 से 16 को वैध खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व रेकार्ड मे इसी प्रकार इन्द्राज (नामान्तकरण/पंजीयन) अपास्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृपि भूमि मे दखलअंदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य से करावें । तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

वादीगण

1. शौकत अली
2. असलम खां
3. इमरान खां
   पीसरान सतार खां जी
4. बितकीश बानो पत्नी सतार खां जी
5. अमीना बानो
6. रोशन बानो
   पीसरान सतार खां जी
7. अहमद खां
8. अजीज खां
9. सफी मोहम्मद
10. साबिर
11. जन्नत बानो
12. रोशनबानो पत्नी रमजान खां
13. जावेद खां
14. अनीषा बानो
15. निशा बानो पुत्रिया रमजान खां जातिगण धोबी मुसलमान निवासीगण बर तहसील रायपुर

बनाम

1. अब्दुल रहमान
2. इन्साक मोहम्मद
3. अब्दुल गफार
4. न्याज मोहम्मद
5. अब्दुल हकीम
   पीसरान बाबूखां जी
6. हफीजा भानू पत्नी बाबूखां जी जातिगण धोबी मुसलमान निवासीगण बर
7. रजाक खां पुत्र दीना खां जी
8. इब्राहिम खां पुत्र दीना खां
9. पीरू खां पुत्र दीना खां जी
10. गुलाब मोह पुत्र गबरूद्दीन
11. दौलत पुत्री दीना खां
12. जावेद पुत्र अ.रहमान
13. सफी पुत्र अ.रहमान
14. रूकसाना पुत्री अ.रहमान
15. चांदबीवी पुत्री अ.रहमान
16. शाकीर मो.पुत्र इब्राहिमजी
17. तहसीलदार जी रायपुर

वाद घोषित करने शून्य दाखिला दिनांक 25.08.1964 तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री ताराचन्द्र टांक वगैरह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन एवं फिरोज खान मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बर की जमाबंदी के प्रोफार्मा पर नामान्तकरण संख्या 142 कमांक अंकित कर दाखिला खारिज किया जाता, का नोट दिनांक 25.8.1964 को जो अकिंत किया गया उसे शून्य करार देकर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व पूर्व माफिक राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित भूमि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खसरा संख्या 466, 467, 468, 469 एंव 259 कुल रकबा 13 बीघा 17 बीस्वा में वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 7 से 16 को वैध खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व रेकार्ड मे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

इसी प्रकार इन्द्राज (नामान्तकरण/पंजीयन) अपास्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य से करावें । तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×.....
फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	—	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	—	152	00
स्टाम्प वकालतनामा	—	102	00	स्टाम्प हाजरी	—	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	—	00	00	मेहनताना वकील पर	—		
मेहनताना वकील	—			खर्चा गवाहान	—		
खर्चा गवाहान	—			फीस कमिश्नर	—		
फीस कमिश्नर	—			बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—			मुतफरिक	—	02	00
मुतफरिक	—	4	00	मीजान			
मीजान		111	00			154	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।